



Fuelling Sustainable Growth

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड  
 एक मिनी रत्न कंपनी  
 (कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)  
 कार्मिक/कर्मचारी स्थापना विभाग  
 दरभंगा हाउस, रांची 834029 –  
 सी.आई.एन. – U10200JH1956GOI000581  
 वेबसाइट – <http://centralcoalfields.in>

पत्रांक: सीसीएल/एन.ई.ई./वरीय निजी सहायक (राजभाषा) – त° एवं पर्य° वर्ग 'ए' /2024/10761-69(II) दिनांक: २५।१।२४

### कार्यालय आदेश

वरीय निजी सहायक (राजभाषा) - तकनीकी एवं पर्यवेक्षी वर्ग 'ए' के पद पर एन.सी.डब्ल्यू.ए.-XII (जैसा लागू हो) के वेतनमान पर निम्नलिखित कर्मचारी की पदोन्नति की जाती है :-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम/ पदनाम/ पी. आई. एस. संख्या	विभाग	पदोन्नति पद
1.	श्री ऋषिकान्त कुमार पाण्डेय, निजी सहायक(राजभाषा) लिपिकीय विशेष वर्ग, 14500706	जनसम्पर्क	वरीय निजी सहायक(राजभाषा) तकनीकी एवं पर्यवेक्षी वर्ग 'ए'

इनकी पदोन्नति उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। अगला आदेश जारी होने तक वे उनके वर्तमान विभाग में ही पदस्थापित रहेंगे।

उपर्युक्त वर्णित कर्मी सी॰सी॰एल॰ के प्रमाणित स्थायी आदेश के खण्ड 3.6 के अनुसार उक्त पद पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

इनकी इंटर-सी-सीनियारिटी अनुमोदित पैनल में इनकी वरीयता क्रम में रहेगी जो उनके पदोन्नत पद पर वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित नहीं होगी।

सी॰सी॰एल॰ एवं उसकी सहायक कर्मचारियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सुनिश्चित करने हेतु पत्रांक:- सी.आई॰एल॰/सी-5/जे॰बी॰सी॰आई/एस॰सी/डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटि/33 दिनांक: 11.02.2021 द्वारा जारी किये निर्देशों के तहत उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर यथाशीघ्र अपना योगदान दें। यदि संबंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

सम्बंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोइनिंग रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

  
 (सौम्या सिंह)  
 उप प्रबन्धक (का-कर्म.स्था)  
 सीसीएल.रांची

#### वितरण:-

1. महाप्रबंधक (राजभाषा)/वित्त/ कर्मचारी स्थापना/आई. ई. डी., सीसीएल, रांची।
2. निदेशक(कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), सीसीएल, रांची – सीसीएल वेबसाइट पर अपलोड हेतु
4. विभागाध्यक्ष(जनसम्पर्क), सीसीएल, रांची।
5. श्री अश्विनी चौधरी, वरीय डी.ई.ओ., कर्मचारी स्थापना विभाग, सीसीएल, रांची।
6. संबंधित कर्मचारी एवं संचिका